



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274453
CG-DL-E-14072026-274453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3660]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3660]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3822(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, खलीलाबाद बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-328A के कि.मी. 12.8 कि.मी. से 27.4 तक उत्तर प्रदेश राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में खलीलाबाद बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-328A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति	राष्ट्रीय राजमार्ग	उत्तर प्रदेश	संत कबीर	खलीलाबाद	1 बालूशासन

	अधिकारी, बस्ती	संख्या NH328A के कि.मी 12.8 से कि.मी 27.4 तक		नगर		2	बेलमा
						3	बंजरिया
						4	सुन्दरपुर वजहा
						5	छाब्बापार
						6	चन्दिया
						7	चकमदारुल्लाहउ.मलोरना
						8	औरंगावाद
						9	चान्दीडीहा
						10	बरहटा
						11	सतौहा
						12	मंझरिया
						13	जोरवा
						14	बनभार
						15	उसका खुर्द
						16	तेनुआराय
						17	रानीपार
						18	पायलपार
						19	धमरजा
						20	चकदही
						21	लढया

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-328A(Khalilabad Bypass) /2026-27]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3822(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Khalilabad Bypass 2 laning with paved shoulders configuration from km. 12.8 to 27.4 of NH 328A in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH328A in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO, Basti	NH328A KM 12.8	UTTAR PRADESH	SANT KABIR	Khalilabad	1 Balushasan

		TO KM 27.4		NAGAR		2	Belma
						3	Banjaria
						4	Sundarpur Bazaha
						5	Chhachhapar
						6	Chandia
						7	Chakmad Arullah Malorana
						8	Aurangabad
						9	Chandideeha
						10	Barahata
						11	Satauha
						12	Manjharia
						13	Jorwa
						14	Banbhar
						15	Uska Khurd
						16	Tendua Rai
						17	Ranipar
						18	Payalpar
						19	Dhamaraja
						20	Chakdahi
						21	Ladhya

[F. No. CE-RO/LKO/NH-328A(Khalilabad Bypass) /2026-27]

SHAIKH AMINKHAN, Director